

12/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उप.।
वकील शर्मा ने पत्रावली पर NOT PRESS
डॉक्यूट किया। वकील शर्मा पत्रावली को
आगे जैस्कार रखना उचित नहीं समझते
हैं। अतः शर्मा पत्र को NOT PRESS
में स्वरिज किया जाता है। पत्रावली
कुशल सुमार ठेकर नम्बर से कम की
जावे। निर्णय आज दिनांक 12.9.2022
को सरे इजलास सुनाया गया।

~~NOT PRESS~~
शर्मा

उप स्वण्ड अधिकारी
मंगरोल जिला बारी (राज०)